दिनांक 02.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 02/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नववर्ष के अवसर पर पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी गयी।

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा **नववर्ष** के अवसर पर आज दिनॉकः 02.01.2025 को पुलिस मुख्यालय गोमती नगर विस्तार लखनऊ स्थित पृथ्वी लॉज में पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर उन्हें व उनके परिजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गयी।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक फायर सर्विस, पुलिस महानिदेशक टेलीकॉम, पुलिस महानिदेशक पॉवर कारर्पोरेशन, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी–112, अपर पुलिस महानिदेशक कानून–व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक रेलवेज, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक यातायात उ0प्र0 एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।

दिनांक 02.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 03/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पदोन्नति प्राप्त पुलिस अधिकारियों की पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony)

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांकः 02.01.2025 को पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार में पदोन्नति प्राप्त करने वाले आई0पी0एस0 अधिकारियों की **पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony)** में उपस्थित श्री नीलाब्जा चौधरी पुलिस महानिरीक्षक एटीएस उ0प्र0 एवं श्री प्रशान्त कुमार–II पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेन्ज, लखनऊ को अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति पाये जाने पर रैंक लगाया गया तथा पदोन्नति पाये समस्त पुलिस अधिकारियों को शुभकामनाएं दी गयी।

EROES

दिनांक 02.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 04/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

➢ **<u>जनपद जालौन (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 08 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद जालौन पुलिस ने अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र मो0उमर मकान नं0–ई 18 निजामुद्दीन नई दिल्ली स्थाईपता कस्बा सहसपुर थाना स्योहरा जनपद बिजनौर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 08 करोड़ रू0 को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

➢ **<u>जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामरतन को आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद गोरखपुर/थाना राजघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना राजघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/307/427 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जवाहर को आजीवन कारावास व 15 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एसटीएफ–हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना शहापुर, जनपद ठाणे ग्रामीण (महाराष्ट्र) में पंजीकृत मु0अ0सं0 371/2024 में वांछित अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा जनपद कौशाम्बी से गिरफ्तार।

दिनांक 02–01–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को थाना शहापुर जनपद ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 371/2024 धारा 109(1), 312, 3(5), 103(1) बीएनएस व 3/27 शस्त्र अधिनियम में वांछित अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा को कौषाम्बी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :–

शशांक उर्फ सोनू मिश्रा पुत्र बलराम मिश्रा निवासी ग्राम बंधवा रजवर थाना कोतवाली मंझनपुर, जनपद कौषाम्बी उ0प्र0।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय :–

बंधवा रजवर तिराहा मंझनपुर रोड थाना कोतवाली मंझनपुर जनपद कौशाम्बी, दिनांक 02–01–2025 समय 16:10 बजे।

थाना शहापुर जनपद ठाणे ग्रामीण महाराष्ट्र में पंजीकृत मु0अ0सं0 371/2024 धारा 109(1), 312, 3(5) बीएनएस व 3/27 शस्त्र अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर उक्त अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही थी। उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा की गिरफ्तारी हेतु महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एसटीएफ उ0प्र0 से सहयोग मांगा गया था। उक्त के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण व निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में दिनांक 02–01–2025 को निरीक्षक श्री अनिल कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अजय सिंह यादव, उदय प्रताप सिंह, आरक्षी चालक मनोज कुमार एसटीएफ प्रयागराज व उ0नि0 श्री महेश कदम, मुख्य आरक्षीगण प्रकाश साहिल,

हनुमन्त गायकर, ठाणे क्राइम ब्रान्च महाराष्ट्र टीम की संयुक्त कार्यवाही में वांछित अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा को बंधवा रजवर तिराहा मंझनपुर रोड थाना कोतवाली मंझनपुर जनपद कौशाम्बी से समय 16:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे व उसके मिश्र अंकित यादव उर्फ शिन्टू पुत्र लल्लूराम निवासी महमदपुर थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी को लूट करने के इरादे से फैजान पुत्र पप्पू निवासी सिरियाकला थाना चरवा, जनपद कौशाम्बी अपने वाहन सर्विस सेन्टर जनपद ठाणे बुलाया था। थानाक्षेत्र शहापुर स्थित आभूषण की दुकान में लूट करने के लिए बताया। इसके बाद यह लोग भिवंडी में रहकर उक्त आभूषण की दुकान का माह जनवरी 2024 से ही रेकी करने लगे, लेकिन लूट करने का मौका नहीं मिल पाया। दिनांक 21–12–2024 की रात्रि लगभग 09.00 बजे जब आभूषण दुकान मालिक अपनी दुकान बन्द कर जाने लगा तभी दुकान से कुछ दूरी पर ही यह लोग गोली मारकर उसका बैग छीनकर भाग गये। बाद में पता चला कि दुकान मालिक की मृत्यु हो चुकी है तथा घटना के सम्बन्ध में मुकदमा लिखा गया है। जिसमें बाद यह गिरफ्तारी से बचने के लिए वापस कौशाम्बी आ गया था और यही पर लुक छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा उपरोक्त को थाना कोतवाली मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में दाखिल किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सम्बन्धित न्यायालय से उक्त अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में महाराष्ट्र ले जाने हेतु ट्रांजिट रिमाण्ड की कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त शशांक उर्फ सोनू मिश्रा उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01	240/2012	13 जुआ अधि0	मंझनपुर	कौशाम्बी

02	427／2013	308／325／504／506 भादवि	मंझनपुर	कौशाम्बी
03	521／2014	379／411 भादवि	मंझनपुर	कौशाम्बी
04	172／2018	302 भादवि	मंझनपुर	कौशाम्बी
05	235／2018	3／25 आर्म्स एक्ट	मंझनपुर	कौशाम्बी
06	160／2020	307／504／506 भादवि	मंझनपुर	कौशाम्बी
07	371／2024	109(1), 312, 3(5), 103(1) बीएनएस व 3／27 आर्म्स एक्ट	शहापुर	ठाणे महाराष्ट्र

————————

दिनांक 02.01.2025
प्रेस विज्ञप्ति 05/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के थाना एक्सप्रेस–वे, थाना बादलपुर तथा थाना नॉलेज पार्क को आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण प्रबन्धन, थाना कार्यालय प्रक्रिया, जनमानस व पुलिस सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मान्य पाये जाने पर ISO 9001:2015 Quality Management Systems प्रदान किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर पुलिस महानिदेशक श्री प्रशान्त कुमार के निर्देशन में प्रदेश में जनशिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि गौतमबुद्धनगर के तीन थानों 1–एक्सप्रेस–वे 2–बादलपुर तथा 3–नॉलेजपार्क को आधारभूत संरचना (Infrastructure), गुणवत्ता प्रबन्धन (Quality Managment), थाना कार्यालय प्रक्रिया (Office Procedure) को जनमानस और पुलिस सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप मान्य पाये जाने पर ISO 9001:2015 Quality Management Systems प्रदान किया गया है। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 पुलिस द्वारा इस उपलब्धि पर उत्तर प्रदेश पुलिस का मान बढ़ाने के लिए वीडियों संदेश जारी करते हुए पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह और उनकी पूरी टीम की सरहाना करते हुए प्रशंसा की गयी।

गौतमबुद्ध नगर द्वारा जनसामान्य को प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाओं, जन शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापरक निवारण तथा प्रशासनिक व्यवस्था के स्तर को उत्कृष्ट बनाने हेतु एक निर्धारित Action Plan (कार्ययोजना) के तहत, उक्त थानों के मानकीकरण हेतु विशेष अभियान चलाया गया। इसी क्रम में उक्त थानों में स्थित विभिन्न शाखाओं, यथा–थाना कार्यालय, सीसीटीएनएस, आई0जी0आर0एस0, मालगृह, जी०डी०/पासपोर्ट/ डाक सेक्शन, आर्म्स एम्युनेशन के रखरखाव, साइबर डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, नये कानून के क्रियान्वयन आदि के लिए SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार कराईं गईं, प्रोटोकाल निर्धारित करने के साथ–साथ इन थानों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रभावी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था, महिलाओं एवं आम नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय दिलाये जाने तथा सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने हेतु सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध ढंग से ठोस व सार्थक प्रयास प्रारम्भ कराये गये। सार्वजनिक शिकायतों का त्वरित निराकरण माननीय मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः आम जन सेवाओं के साथ–साथ इसका भी उच्च मानकीकरण किया गया।

इसी क्रम में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आई०एस०ओ० प्रदाता फर्म रॉयल इम्पैक्ट सर्टिफिकेशन लि0 की टीम द्वारा थाना एक्सप्रेस वे, थाना बादलपुर राथा थाना नॉलेज पार्क के अभिलेखों का उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत एवं गहन ऑडिट करने के साथ–साथ थाना स्टाफ को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ISO कमेटी द्वारा विभिन्न बिन्दुओं यथा–आधारभूत संरचना (Infrastructure), गुणवत्ता प्रबन्धन (Quality Managment), थाना कार्यालय प्रक्रिया (Office Procedure) सहित जनमानस को प्रदान की जाने वाली पुलिस सेवाओं, कानून–व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, आपातकालीन स्थिति में त्वरित जवाबदेही, नये कानूनों के प्रभावी ढंग से अनुपालन तथा आम जन की समस्याओं के निराकरण हेतु सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन कराये जाने संबंधी समस्त कार्यवाही /प्रक्रियाओं को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पाया गया, जिसके फलस्वरूप थाना एक्सप्रेस वे, थाना बादलपुर तथा थाना नॉलेज पार्क को यह मानकीकरण ISO 9001:2015 Quality Management Systems प्रदान किया गया है।

Police station Expressway, Badalpur, Knowledge Park
have been assessed by RICL and found to comply with the
requirements of
Certificate of Registration
Certificate of Registration